SantShri AsharamJi
Foundation for
Societal Affairs & Change – "SAFSAC"

Date: 19 Aug 2014

For Immediate Publishing & Circulation:

पूज्य बापूजी के केस में सुप्रीम कोर्ट में आज शिकायतकर्ता लड़की के विवादित आयु और जोधपुर केस में जमानत के विषय में लगी याचिकाओं पर सुनवाई हुई लेकिन कोर्ट ने फिलहाल जमानत याचिकाओं को नहीं स्वीकारा है। आज सुबह माननीय न्यायधीश टी. एस. ठाकुर समेत सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की अगुवाई वाली बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए क्रमश: पूज्य बापूजी और सह-आरोपियों के लिए पूर्व कानून एवं विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, सीनियर एडवोकेट श्री शेखर नाफडे, सीनियर एडवोकेट सुशील कुमार और सीनियर एडवोकेट लूथरा ने पैरवी की और लम्बे समय तक जमानत न दिए जाने को, पॉक्सो कानून की अवैधता और स्वास्थ्य सुविधाओं समेत तमाम मुद्दों को आक्रामक अंदाज में उठाया । वही दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के लिए प्रतिनिधित्व कर रही एडवोकेट पिंकी आनंद और शिकायतकर्ता लड़की के लिए पैरवी कर रही एक्टिविस्ट वकील कामिनी जायसवाल जमानत न देने और मेडिकल सुविधाएं देने को लेकर बीच-बीच में पुरजोर विरोध करती रही। फिलहाल कोर्ट ने सारे मामलों को विस्तृत रूप से एक साथ सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 सितम्बर पर टाल दिया है। साथ ही बापूजी के ख़राब स्वास्थ्य के चलते कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है जिसको अपनी रिपोर्ट दो हफ्ते के समय के अंदर प्रस्तुत करनी है।

Source: Briefing by TEAM SAFSAC Representative, involved as party-in-person for Shri Sharath Chand Pottala, Director of Chhindwara Gurukul.